[illegible]

[illegible]

[illegible] कार्ड नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

[illegible] मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायरा	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
251 (A)	106/23	18/5/23	~~Antt~~ 9/10/24	30/7/24 12/8/24 17/9/24 9/10/24

अनवान

श्री रमेश चन्द्र s/o देवीलाल मीणा

निवासी गोविन्दपुरा

श्री तहसीलदार बिजौलिया

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

श्री मुकेश कुमार धाकड़

मदयून

श्री ~~Ex-Party~~ TDR

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम ...)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

किस्म मुकदमा 251(A) नम्बर 106 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/5/2023	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 7/6/2023 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
7/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, बिजौलिया से तामील प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश दिनांक 23/08/23 को पेश हो।	
23/8/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27/9/23 को वास्ते उ. आदेश पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
27/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया से जांच रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जांच रिपोर्ट दिनांक 25/10/23 को पेश हो।	
25/10/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया से जांच रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जांच R. दिनांक 13/12/23 को पेश हो।	13/12

[illegible] पत्रावली पेश हुई। [illegible] तहसीलदार [illegible] से जाँच रिपोर्ट [illegible] जाँच रिपोर्ट हेतु [illegible] आगामी [illegible] को पेश हो।

[illegible]/1/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 13/2/24 को वास्ते जाँच रिपो. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

13/2/24 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार निजॉलिया से जांच रिपोर्ट अप्राप्त। तहसीलदार निजॉलिया को पुन: स्मरण पत्र लिखा गया। पत्रावली वास्ते जांच रिपोर्ट देखने आगामी दिनांक 27/2/24 को पेश हो।

27/2/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 19/3/24 को वास्ते जाँच रि. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

19/3/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते जाँच रि. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

23/4/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 14/5/24 को वास्ते जाँच रि. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

14/5/24 पत्राबली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 4/6/24 को वास्ते जाँच रि. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर [illegible]
5/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] / [illegible] उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 10/6/24 को वास्ते [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
10/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] / [illegible] उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 9/7/24 को वास्ते बांच R पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
9/7/24	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बिजौलिया से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 30/7/24 को पेश हो।
30/7/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 12/8/24 को पेश हो।
12/8/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 17/9/24 को पेश
17/9/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते Order आगामी दिनांक 9/10/24 को पेश हो
9/10/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर 91 दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

[illegible]

01. [illegible]

उपस्थित – 01 [illegible]
02 [illegible]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) [illegible]

–निर्णय–

दिनांक [illegible]

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] धाकड़ ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) [illegible] विपक्षी पेश कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थी [illegible] पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में आराजी संख्या 357/122 [illegible] रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर [illegible] संख्या 121 गेमु0 रास्ता से बिलानाम आराजी खसरा संख्या 715/122 [illegible] खातेदारी आराजी खसरा संख्या 357/122 में प्रवेश करता है। [illegible] A TO B से दर्शाया गया है।) प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग [illegible] जाता हैं। विपक्षी की उक्त भूमि आराजीयात मे से होकर गुजरने [illegible] नक्शे मे तरमीम नही होने से प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग [illegible] की उक्त भूमि अन्य को आवंटन की स्थिति मे उक्त रास्ते के अवरुद्ध [illegible] है। जबकि उक्त रास्ता वर्षो पुराना होकर उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास [illegible] आने जाने, ट्रेक्टर ट्रोली, वाहन, बैलगाड़ी लाने ले जाने के लिए अन्य कोई [illegible] उपलब्ध नही है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी मे आने जाने के उक्त 30 [illegible] रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज एंव नक्शे मे तरमीम करवाने का निवेदन किया है, और प्रार्थी विपक्षी की उक्त आराजियात मे जाने वाले उक्त 30 फीट चौड़े रास्ते को रिकार्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में प्रार्थी आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2024/292 दिनांक 26.02.2024 में अंकित किया कि ग्राम मन्ड़ोल की आराजी नम्बर 357/122 रकबा 0.4856 हैक्टेयर है भूमि रमेशचन्द्र पुत्र देवीलाल मीणा निवासी गोविन्दपुरा के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी खातेदार बिलानाम आराजी न. 715/122 में से रास्ता चाहता है :–

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियाँ भीलवाड़ा

- प्रार्थी को आराजी नम्बर 357/122 रकबा 0.4856 में पहुँचने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा ग्राम मन्डोल की बिलानाम आराजी नं 715/122 में से आने जाने हेतु 30 फिट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जो ग्राम मण्डोल की आराजी नं. 121 गे.मु. सड़क से लगता हुआ है, उक्त सडक राज्य राजमार्ग (5 म) है।
- ग्राम मन्ड़ोल की रास्ते हेतु 30 फीट चौड़ाई हेतु प्रस्तावित भूमि बिलानाम आराजी 715/122 रकबा 54.8753 है0 से 30 फीट रास्ता दिया जाता है जो 0.0390 है0 भूमि उपयोग में ली जायेगी। इसके अलावा अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता नही है। उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि N.H. से व आबादी से 01 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। उक्त प्रस्तावित भूमि स्वीकृत खनन क्षेत्र व संबंधित खनन क्षैत्र से 1 कि0मी0 से अधिक की दूरी पर स्थित है।
- ग्राम मन्डोल की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 715/122 रकबा 54.8753 है0 में से 0.0390 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 1392234/- प्रति है0 से भूमि की मालियत 54298/-रूपये का दुगुना से 108596/-रूपये की राशि बनती है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सरकार पैरोकार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया उक्त प्रस्तावित आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु ग्राम मन्डोल की बिलानाम आराजी नम्बर 715/122 रकबा 54.8753 हैक्टैयर में से 0.0390 हैक्टेयर भूमि में रास्ता दिये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैंकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मन्डोल में खाता संख्या 89 में अंकित आराजी नम्बर 357/122 रकबा 0.4856 हैक्टैयर भूमि पर पहुंचने के लिए रास्ता विपक्षी की ग्राम मन्डोल की बिलानाम आराजी नम्बर 715/122 रकबा 54.8753 हैक्टेयर में से 0.0390 हैक्टेयर भूमि बनती है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1392234/-प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 54298/-रूपये का दुगुना से 108596/-रूपये की राशि बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में गे0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 09/10/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ